आदर्श जैविक ग्राम :
जैवविविधता प्रबंधन समितियों की भूमिका

नदी पारिस्थितिकीय तंत्र को बेहतर बनाने हेतु
नदी घाटी व कछार क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु विशिष्ट प्रणाली

यदि आप नदी तटीय क्षेत्र के ग्रामों में निवास करते हैं, तो अपने ग्राम में नदियों के पारिस्थितिकीय तंत्र को बेहतर बनाने हेतु जैवविविधता प्रबंधन समिति गठन कर सकते है। इस हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड आपको सहयोग प्रदान करेगा।

(मजबूत नींव से ही मजबूत इमारत का निर्माण संभव है।
जैवविविधता प्रबंधन समितियां राज्य जैवविविधता बोर्ड की नींव है)

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
(वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

कॉपीराईट © म.प्र.जै.वि.बो., जुलाई 2018

अभिकल्पना : मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल एवं
गैलेक्सी प्रिन्ट्स, भोपाल

मुद्रण : गैलेक्सी प्रिन्ट्स, भोपाल
प्रथम संस्करण : 1000 प्रतियाँ

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

सदस्य सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
26, किसान भवन, प्रथम तल,
अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011
ई–मेल mpsbb@mp.gov.in
वेबसाईट : www.mpsbb.nic.in

आदर्श जैविक ग्राम : जैवविविधता प्रबंधन समितियों की भूमिका

नदी पारिस्थितिकीय तंत्र को बेहतर बनाने हेतु नदी घाटी व कछार क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु विशिष्ट प्रणाली

1. जैवविविधता प्रबंधन समिति

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 के नियम 23 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा (जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम) अपनी अधिकारिता में जैवविविधता प्रबंधन समिति गठन का प्रावधान है।

जैवविविधता प्रबंधन समितियों का कार्य अपने अधिकारिता क्षेत्र में जैवविविधता संरक्षण के तहत पारिस्थितिकीय स्तर पर पारिस्थितिकीय सेवाओं को बनाये रखना है। वानिकी पारिस्थितिकीय सेवाओं के तहत पानी वनों की मुख्य सेवा व उत्पाद है। अतः नर्मदा घाटी में स्थित सभी जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन/पुनर्गठन/सक्रियकरण कर उद्देश्य पूर्ति की दिशा में एक स्थाई ढांचे का निर्माण हो सकेगा।

2. जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गठन/पुनर्गठन का वैधानिक प्रावधान

जैवविविधता संरक्षण की गतिविधियों को संचालित करने के लिये जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 के नियम 23 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा (जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम) अपनी अधिकारिता में जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा।

जैवविविधता प्रबंधन समिति में स्थानीय निकाय द्वारा नाम निर्देशित 7 व्यक्ति होंगे, जिनमें महिलायें एक तिहाई से कम नहीं होंगी। समिति में जड़ी बूटी विशेषज्ञ, कृषक, लघुवनोपज संग्राहक/व्यापारी, मछवारे, उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि, सामुदायिक कार्यकर्त्ता, शिक्षाविद् इत्यादि सम्मिलित होंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अनुपात, जिले के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। समिति के सभी सदस्य स्थानीय निकाय के निवासी होने चाहिये एवं उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिये। स्थानीय निकाय, वन, कृषि, पशुधन, स्वास्थ्य, मछली पालन तथा शिक्षा विभाग में से छह विशेष आमंत्रितों को नाम निर्देशित किया जायेगा।

3. जैवविविधता प्रबंधन समितियों की गतिविधियां

नदी को अविरल व निर्मल बनाने में जैवविविधता प्रबंधन समितियों की गतिविधियां निम्नानुसार निर्धारित हैः–

1. नदी को अविरल बनाने हेतु

1.1 संकटग्रस्त प्रजातियों की नर्सरी तैयार करना व रोपित करना।

1.2 विशिष्ट रहवासों (unique habitats) का संरक्षण करना।

1.3 वनों पर जैविक दबाव कम करने की दिशा में उन्नत किस्म के पशु नस्लों को बढ़ावा देना।

1.4 जल ग्रहण क्षेत्रों में फ्लड प्लेन्स (flood plains) की पहचान करना एवं ईको रेस्टोरेशन्स (Eco restroration) करना।

1.5 नदी तटीय क्षेत्रों से लगे ग्रामीणों के द्वारा तटीय बांस वृक्षारोपण का कार्य करना व प्रोत्साहन देना।

1.6 प्रदेश की राज्य मछली महाशीर का संरक्षण सुनिश्चित करना।

1.7 नर्मदा/सहायक नदियों/नाला में भूमिक्षरण को रोकने हेतु वृक्ष एवं घास रोपण।

2. नदी को निर्मल बनाने हेतु

2.1 निर्मलता की पहचान प्रदेश की राज्य मछली महाशीर का संरक्षण सुनिश्चित करना।

2.2 जैविक एवं एकीकृत व मिश्रित खेती को बढ़ावा देना जिसमें दुग्ध उत्पादन भी सम्मिलित है।

2.3 स्थानीय निकाय के साथ मिलकर अपशिष्ट प्रबंधन विशेषकर जैविक एवं अजैविक कचरे का विभाजन कर जैविक कचरे से कम्पोस्ट बनाने एवं वर्मी खाद बनाने को बढ़ावा देना। तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर काम करना। अजैविक कचरे का निष्पादन।

2.4 जलीय खरपतवार की समय पर पहचान व उनमूल्यन।

2.5 जैवविविधता को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाले गतिविधियों की पहचान कर उनका निदान सुनिश्चित करना।

3. नदी घाटी की जैवविविधता संरक्षण हेतु

3.1 लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण करना।

3.1.1 अपने क्षेत्र के जैव संसाधनों की सूची तैयार करना।

3.1.2 पांरपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण।

3.1.3 आजीविका से जुड़े जैवविविधता का सूचीकरण।

3.1.4 व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले जैव संसाधनों की सूची बनाना।

3.1.5 जैव संसाधन उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों की सूची बनाना।

3.1.6 जैव संसाधनों का उपयोग करने वाले कारीगरों (artisans) की सूची बनाना।

3.1.7 जैव संसाधन उपयोग करने वाले व्यपारी, व्यवसायियों एवं निर्माताओं की पहचान करना एवं सूची बनाना।

3.1.8 स्थानिक प्रजातियों (endemic) की पहचान करना।

3.1.9 दुर्लभ एवं संकटग्रस्त (Rare, Endangered and Threatened) प्रजातियों की पहचान करना।

3.1.10 अपने क्षेत्र की विशिष्ट रहवासों (unique habitats) की पहचान करना।

3.2 लोक जैवविविधता पंजी के आधार पर स्थानीय जैवविविधता प्रबंध योजना का निर्माण व क्रियान्वयन।

3.3 कृषि की विलुप्त हो रही पारंपरिक किस्मों के सीड बैंक बनाना व पारंपरिक किस्मों का कृषकों के द्वारा संवर्धन।

3.4 पशुओं की देशी/स्थानीय नस्लों को बढ़ावा देना।

3.5 जड़ी बूटियों के असंवहनीय विदोहन को पहचान कर संवहनीय विदोहन के लिये कार्य करना।

3.6 खेती में हानिकारक गतिविधि जैसे नरवाई जलाने, रसायन प्रयोग के हानिकारक परिणाम पर चर्चा व इन प्रथाओं को हतोत्साहित करने की रणनीति।

3.7 जलीय खरपतवार की समय पर पहचान व निर्मूलन।

3.8 क्षेत्र में उपलब्ध जैव संसाधनों के मूल्य संवर्धन (value addition) पर काम करना।

4. ''बीज बचाओ कृषि बचाओ''

4.1 उद्देश्य :

4.1.1 बीज बचाओ–कृषि बचाओ सह बीज अपनाओं यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों जहाँ पारंपरिक किस्मों के बीजों से खेती की जाती है, की पहचान करना।

4.1.2 पारंपरिक बीजों को एकत्रित करना।

4.1.3 ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो इस कार्य को आगे बढ़ा सके और ऐसे लोगों को देशज बीजों की खेती की ओर प्रेरित कर सके।

4.2 गतिविधियाँ :

4.2.1 उपलब्ध कृषि जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करना (पारंपरिक किस्मों एवं उन्नत किस्में)।

4.2.2 कृषि की पारंपरिक किस्मों के बीजों को एकत्रित करना।

4.2.3 परंपरागत खेती करने वाले कृषकों की सूची तैयार करना।

4.2.4 पारंपरिक बीज बचाओ अभियान हेतु स्थानीय लोगों को चिन्हित करना।

4.2.5 स्थानीय जड़ी बूटियों एवं उनके उपयोगों का सूचीकरण।

4.2.6 घरेलू पशुओं की स्थानीय नस्लों का दस्तावेजीकरण।

4.2.7 क्षेत्र की विशिष्ट/खास प्रजातियों एवं किस्मों का सूचीकरण।

4.2.8 ग्राम पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गठन हेतु जागरूकता उत्पन्न करना।

4.3 आगामी रणनीति

4.3.1 प्रत्येक जिले में बीज नायकों को चिन्हाकित कर देशी बीजो के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा दिया जायेगा।

4.3.2 बीज नायको द्वारा स्थानीय यात्राओ के माध्यम से बीज एकत्रित कर उनका संवर्धन किया जायेगा।

4.3.3 सामुदायिक बीज बैंक पिथोराबाद जिला सतना की तर्ज पर क्षेत्रीय स्तर पर सामुदायिक बीज बैंक बनाकर देशी बीजो का संरक्षण किया जायेगा।

4.3.4 एकत्रित परम्परागत बीजो का पी.पी.व्ही.एफ.आर.ए. नई दिल्ली में पंजीयन करवाया जायेगा।

5. मौसमी फलों एवं जंगलीय प्रजातियां का बीज संग्रहण कर उनका संरक्षण

5.1 मौसमी फलों जैसे – आम, जामुन, कटहल, चीकू, नीम आदि व प्रदेश के जंगलीय प्रजाति के साल, साज, महुआ, भिलमा, बेल, तेंदु, लड़िया, पलाश, बेर आदि के बीजों को उपयोग के बाद बीज/गुठलियों को एकत्रित व सुखाकर जैवविविधता प्रबंधन समितियों में जमा करावें।

5.2 इन बीजों को जैवविविधता प्रबंधन समितियों एवं अन्य वृक्षा रोपण कार्यक्रमों में उपयोग मे लाया जायेगा तथा इन्हें नदियों के तटीय क्षेत्रों/वन विहीन क्षेत्रों में बोया जावेगा। जिससे प्रदेश की वानस्पतिक जैवविविधता को बढ़ावा मिलेगा।

6. इस संबंध में किये जाने वाले जागरूकता अभियान

6.1 जैवविविधता प्रबंधन समिति के गठन हेतु आवश्यक माहौल तैयार करना।

6.2 जैवविविधता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने वाले लोगों – ''जैव नायकों'' की पहचान करना।

6.3 उपरोक्त कार्यों में नर्मदा सेवा समितियों एवं अन्य समितियों को जागरूक करना व समावेश करना।

6.4 जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जागरूकता कार्यक्रम (नुक्कड़

नाटक, संगोष्ठी) इत्यादि आयोजित करना।

6.5 गॉवों में दीवार लेखन करवाना।

6.6 प्रदेश तथा नदी घाटी में जैविक दबाव कम करने की दिशा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

7. आदर्श जैविक ग्राम का निर्माण करना

उपरोक्त उल्लेखित सभी बातों का समावेश करते हुए ''आदर्श जैविक ग्राम'' का निर्माण करना।

4. जैवविविधता प्रबंधन समितियां – नर्मदा सेवा यात्रा – नर्मदा सेवा मिशन

मान. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा नर्मदा नदी के अस्तित्व को बचाने की दिशा में ''नर्मदा सेवा यात्रा एवं नर्मदा सेवा मिशन'' प्रारंभ किया गया, जो कि विश्व के सबसे बड़ा नदी संरक्षण कार्यक्रम के रूप में गिनती में आता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के विकास में नर्मदा नदी के महत्व को रेखांकित करते हुए नर्मदा के प्रवाह को अविरल व निर्मल (प्रदूषण मुक्त) बनाये रखना है। नर्मदा नदी को अविरल बनाने में जंगलों व नर्मदा का निर्मल बनाये रखने में नदी के किनारे बसे शहर एवं गांवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस यात्रा एवं मिशन में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा मैदानी स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों की भूमिका को नदी संरक्षण में रेखाकिंत करते हुए, नर्मदा के तटीय क्षेत्र के 16 जिलों में 226 जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया। इनमें से 166 जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा नर्मदा के प्रवाह को अविरल व निर्मल (प्रदूषण मुक्त) बनाये रखना हेतु नर्मदा तटीय क्षेत्र में जुलाई 2017 के प्रथम सप्ताह की अवधि में 2 लाख पौधों का रोपण किया गया।

5. जैवविविधता प्रबंधन समिति हेतु वैधानिक प्रावधान

5.1 जैवविविधता अधिनियम, 2002

धारा 41 – जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन –

(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय संरक्षण के संवर्धन, पोषणीय उपयोग और जैव विविधता के दस्तावेजीकरण के प्रयोजन के लिये, जिसके अंतर्गत रहवास की सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रजातियों का संरक्षण, लोक किस्मों, पैदा होने वाली कृषि प्रजातियों और पशुधन के घरेलूकृत संवर्धकों तथा पशुओं के प्रजनन और सूक्ष्म जीवों तथा जैव विविधता से संबंधित ज्ञान को श्रृंखलाबद्ध करने के प्रयोजन के लिये इसके क्षेत्र के भीतर है, जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करेगा।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये –

(क) ''कल्टीवर'' से पौधे की ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो कृषि में पैदा होती थी और बढ़ती रहती थी या कृषि के प्रयोजनों के लिये विशेष रूप से उगाई

गई थी;

(ख) ''लोक किस्म'' से पौधे की पैदा की गई वह किस्म अभिप्रेत है जो किसानों के बीच अनौपचारिक रूप से विकसित, उगाई और विनिमय की गई थी;

(ग) ''भूमि प्रजाति'' से पुरातन कल्टीवर अभिप्रेत है जो प्राचीन कृषकों और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उगाई जाती थी।

(2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव संसाधनों और ऐसे संसाधनों से सहबद्ध ज्ञान के उपयोग के संबंध में, जो जैव विविधता प्रबंध समितियों की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर होते हैं, कोई विनिश्चय लेते समय जैव विविधता समितियों से परामर्श करेगा।

(3) जैव विविधता प्रबंध समिति, अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये किसी जैव संसाधन की पहुंच या संग्रहण के लिये किसी व्यक्ति से फीस के संग्रहण के रूप में प्रभाव उद्‌गृहीत कर सकेगी।

धारा 42 – जैव विविधता निधि को अनुदान

राज्य सरकार, इस निमित्त राज्य विधान मंडल द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् स्थानीय जैव विविधता निधियों को ऐसी धनराशि का अनुदान या ऋण दे सकेगी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने के लिये ठीक समझे।

धारा 43 – स्थानीय जैव विविधता निधि का गठन

(1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय जैव विविधता निधि के नाम से ज्ञात निधि का गठन किया जायेगा जहां कोई संस्था स्वशासित रूप में कार्य कर रही हो और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जायेगा –

(क) धारा 41 के अधीन दिया गया कोई अनुदान और ऋण;

(ख) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दिये गये कोई अनुदान और ऋण;

(ग) राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा दिये गये कोई अनुदान या ऋण;

(घ) धारा 41 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट जैव विविधता प्रबंध समितियों द्वारा प्राप्त फीस;

(ड.) ऐसे अन्य संसाधनों से स्थानीय जैव विविधता निधि द्वारा प्राप्त सभी राशियों जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाये।

धारा 44 – स्थानीय जैव विविधता निधि का उपयोजन

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, स्थानीय जैव विविधता निधि का ऐसी रीति से प्रबंध तंत्र और उसकी अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति तथा वे प्रयोजन जिनके लिये ऐसी निधि का उपयोग किया जायेगा, वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें।

(2) निधि का उपयोग संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के अंतर्गत आने

वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिये और सामुदायिक फायदे के लिये, जहां तक ऐसा उपयोग जैव विविधता के संरक्षण से संगत है, किया जायेगा।

धारा 45 – जैव विविधता प्रबंध समिति की वार्षिक रिपोर्ट

स्थानीय जैव विविधता निधि की अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे समय पर जो विहित किया जाये, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का संपूर्ण लेखाजोखा देते हुये उसकी एक प्रति संबद्ध स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा।

धारा 46 – जैव विविधता प्रबंध समिति के लेखाओं की लेखापरीक्षा

स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखा, राज्य के महालेखाकार के परामर्श से ऐसी रीति में रखें और लेखापरीक्षित किये जायेंगे जो विहित की जाये और स्थानीय जैव विविधता निधि की अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति, संबद्ध स्थानीय निकाय को ऐसी तारीख से पूर्व जो विहित की जाये उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक लेखा संपरीक्षित प्रति देगा।

धारा 47 – जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाने वाली जैव विविधता प्रबंध समितियों की वार्षिक रिपोर्ट, आदि

धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करने वाला प्रत्येक स्थानीय निकाय क्रमशः धारा 45 और धारा 46 में निर्दिष्ट और ऐसी समिति से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट और उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की संपरीक्षित प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को, जिसकी उक्त स्थानीय निकाय पर अधिकारिता हो, प्रस्तुत करायेगा।

5.2 मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004

नियम 23 – जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन –

(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा। तदनुसार जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा स्तर के साथ–साथ (नगर पंचायत), नगर पालिका एवं नगर निगम स्तर पर भी किया जायेगा।

(2) यदि स्थानीय निकाय का यह समाधान हो कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों के कृत्य का निर्वहन, स्थानीय निकाय की सामान्य सभा या इसकी विद्यमान समितियों में से किसी एक समिति द्वारा संचालित किया जा सकता है तो इसे स्थानीय निकाय द्वारा सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये संकल्प पारित कर अभिलिखित किया जावेगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन गठित की गई जैव विविधता प्रबंधन समितियों में स्थानीय निकायों द्वारा नामनिर्देशित सात व्यक्ति होंगे जिनमें महिलायें एक तिहाई से कम नहीं होंगी। इस प्रकार नामनिर्देशित सात स्थानीय जानकार व्यक्तियों को जड़ी–बूटी विशेषज्ञ, कृषक, गैर काष्ठ वन उप संग्रहक/व्यापारी फिशरफोक उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि सामुदायिक कार्यकर्ता शिक्षाविद् या किसी संगठन का कोई व्यक्ति/प्रतिनिधि

जिनके बारे में स्थानीय निकाय का यह विश्वास हो कि वह जैव विविधता प्रबंधन समिति की आज्ञा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है, में से लिया जायेगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अनुपात, जिले के, जहां ऐसी समिति गठित की गई है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत से कम नही होनी चाहिये। उपरोक्त समस्त उक्त स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर के निवासी होने चाहिये तथा उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिये।

(4) स्थानीय निकाय, वन, कृषि, पशुधन, स्वास्थ्य, मछली पालन तथा शिक्षा विभाग में से छह विशेष आमंत्रितों को नाम निर्देशित करेगा।

(5) जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाले सम्मेलन में, समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा। बराबर (मत) रहने की दशा में, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(6) जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की अवधि पांच वर्ष होगी।

(7) जैव विविधता प्रबंधन समिति के सम्मेंलन में विभिन्न स्तरों पर विधान सभा के स्थानीय सदस्य तथा संसद सदस्य विशेष आमंत्रिती होंगे।

(8) जिला पंचायत/जिला प्रशासन द्वारा, सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक क्षेत्र, सामुदायिक और व्यक्तियों में से जैव विविधता के क्षेत्र में विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुये एक तकनीकी सहयोग समूह स्थापित किया जायेगा। विशेषज्ञ समूह जैव विविधता प्रबंधन समिति को अपना सहयोग प्रदान करेगा।

(9) जैव विविधता प्रबंधन समिति की प्रमुख आज्ञा जैव विविधता का संरक्षण पोषणीय उपयोग तथा जैव विविधता के लाभों के साम्यापूर्ण प्रभाजन को सुनिश्चित करना होगा। जैव विविधता प्रबंधन समिति जन जैव विविधता रजिस्टर में स्थानीय जैव संसधनों की उपलब्धता तथा उनके ज्ञान या उनके औषधीय और अन्य उपयोग या उनसे संबंधित कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान से संबंधित विस्तृत जानकारी होगी जिला पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति, जैव विविधता रजिस्टर डाटाबेस के जिलाव्यापी नेटवर्क के विकास के लिये जिम्मेदार होगा। जन जैव विविधता रजिस्टर, बोर्ड द्वारा नियत की गई प्रक्रिया तथा प्रारूपों (फार्मेट) का उपयोग करते हुये ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगरपालिका निगम के स्तर पर तैयार किया जायेगा। जैव विविधता प्रबंधन समिति एवं स्थानीय निकाय जन जैव विविधता रजिस्टर में अभिलिखित ज्ञान को सुनिश्चित करने, विशेषकर बाहरी व्यक्तियों एवं एजेन्सियों तक इसकी पहुंच को नियोजित करने के लिये जिम्मेदार होंगे।

(10) जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अन्य कृत्य राज्य जैव विविधता बोर्ड को किसी मामले पर सलाह देने के लिये निर्देश करना या स्थानीय और जैविक स्त्रोतों का उपयोग करने वाले व्यवसायी से संबंधित डाटा संधारित करना होंगे।

(11) जिला तथा जनपद जैव विविधता प्रबंधन समिति स्थानीय स्तर पर (विकास) योजनाओं में जैव विविधता (संरक्षण संबंधित मुद्दों को समाहित करने का प्रयास करेगी।)

(12) बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समिति को जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिये मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे रजिस्टरों में अभिलिखित समस्त जानकारियों को, बाहरी एजेन्सियों तथा व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग तथा विनियोग के विरुद्ध विधिक संरक्षण प्राप्त है।

(13) समिति जैविक संसधनों के पहुंच और प्रदान किये गये पारंपरिक ज्ञान के ब्यौरे अधिरोपित फीस के संग्रहण के ब्यौरे तथा उनसे व्युत्पन लाभों के ब्यौरे तथा उनके प्रभाजन की पद्धति के संबंध में जानकारी देते हुये एक रजिस्टर भी संधारित करेगी।

(14) जैवविविधता प्रबंधन समिति, ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/ नगरपालिका/नगरपालिका निगम स्तर पर ऐसे निबंधन विनिश्चित कर सकेगा पर वह जैव विविधता तक पहुंच की अनुज्ञा के लिये तथा उनकी अधिकारिता के भीतर विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न पक्षकारों को विविधता संसाधनों तथा उससे संबंधित ज्ञान प्रदान कर सकेगी तथा उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों से किसी व्यक्ति से, या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये जैविक संसधनों तक पहुंच या संग्रहण के लिये फीस संग्रहण के द्वारा प्रभारों का उदग्रहण कर सकेगी। निजी भूमि से संग्रहित/जोती गई सामग्री के लिये प्रभारों के उदग्रहण का प्रमुख हिस्सा भूमि के कृषक/ज्ञानधारक/धारकों को देना चाहिये तथा शेष जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा किया जाना चाहिये। सरकारी भूमि से संग्रहित/जोती गई सामग्री के लिये प्रभारों के उदग्रहण को पूर्णरूप से जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा किया जाना चाहिये।

(15) बोर्ड जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा पहुंच के निबंधन और फीस संग्रहण के लिये मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगा।

(16) ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/ नगरपालिक निगम के स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियों जन जैव विविधता रजिस्टर से उत्पाद का उपयोग करते हुये एक जैव विविधता प्रबंधन योजना तैयार करेगी तथा इसके कार्यान्वयन के लिये या कार्यान्वयन में, भाग लेने के लिये जिम्मेदार होगी।

(17) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रति सदस्यता, नियमित समन्वय सम्मेलन तथा अन्य ऐसे उपायों द्वारा जैसा कि स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित किये जायें, या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये, विद्यमान स्थानीय संस्थाओं के कृत्यों से जैव विविधता प्रबंधन समिति एकीकृत है।

नियम 24 – स्थानीय जैव विविधता निधि

(1) स्थानीय निकाय के स्तर पर स्थानीय जैव विविधता निधि गठित की जायेगी।

(2) बोर्ड, स्थानीय निकाय को अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकारी से उसके द्वारा प्राप्त किया गया ऋण या अनुदान उपलब्ध करायेगा। स्थानीय निकाय ऐसी निधियों तक उसके द्वारा पहचाने गये या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये या अन्य स्त्रोतों के माध्यम से भी पहुंच सकेगा।

(3) स्थानीय जैव विविधता निधि का परिचालन जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा किया जायेगा। बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा निधि के प्रचालन के लिये ऐसी रीति सम्मिलित करते हुये मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगी जिसमें इसके कृत्य संबंधित स्थानीय निकायों के समस्त सदस्यों के लिये पारदर्शक तथा उत्तरदायी हों।

(4) निधि का उपयोग संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिये तथा स्थानीय समुदाय के लाभ के लिये, जहां तक उसका उपयोग जैव विविधता के संरक्षण के संगत है, किया जायेगा।

(5) स्थानीय जैव विविधता निधि का लेखा ऐसे प्रारूपों में जैसे बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे समयों पर, जैसा कि विहित किया जाये, तैयार किया जायेगा।

(6) जैव विविधता प्रबंधन समितियां, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का संपूर्ण विवरण देते हुये एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगी तथा उसकी एक प्रति बोर्ड को और एक प्रति सामान्य सभा को प्रस्तुत करेगी।

(7) स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखे ऐसे तरीके से संधारित तथा संपरीक्षित किये जायेंगे जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन हेतु प्रारूप आदेश

कार्यालय ग्राम पंचायत – .....,

जनपद पंचायत – ....., जिला – .....(म.प्र.)

क्र. / (ग्रा.स. / ग्रा.पं.) / 20...../ दिनांक ...../ ...../ 20.....

आदेश

देश की प्रचुर जैवविविधता के संरक्षण / संवहनीय उपयोग एवं उपयोग से प्राप्त लाभों के समुचित बंटवारे की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 अधिसूचित किया गया है। जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 अधिसूचित किया गया है। मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 के परिपालन में ग्राम पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एतद् द्वारा किया जाता है। उपरोक्तानुसार जैवविविधता प्रबंधन समिति में निम्नानुसार सात अशासकीय सदस्य एतद् द्वारा नामनिर्देशित किये जाते हैं। समिति की बैठक में निम्न सात अशासकीय नामनिर्देशित सदस्यों द्वारा सदस्य श्री .....को जैवविविधता प्रबंधन समिति ....का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है।

क्र.	सदस्य का नाम एवं पता	जाति	विषय विशेषज्ञ	पद
1				अध्यक्ष
2			जड़ी बूटी विशेषज्ञ	सदस्य
3			कृषक	सदस्य
4			गैरकाष्ठ वन उपज संग्राहक / व्यापारी, मछुआरा (फिशरफोक)	सदस्य
5			सामुदायिक कार्यकर्ता	सदस्य
6			शिक्षाविद्	सदस्य
7			किसी संगठन का कोई प्रतिनिधि	सदस्य

समिति गठन में निम्न नियमों का पालन किया गया है:–

1. जैव विविधता प्रबंधन समिति में सदस्य के रूप में नामनिर्देशित सात व्यक्तियों (जिनमें महिलायें एक तिहाई से कम नहीं होंगी) को स्थानीय जानकार व्यक्तियों – जड़ी–बूटी विशेषज्ञ, कृषक, गैर काष्ठ वन उपज संग्राहक / व्यापारी, मछुआरा (फिशरफोक), उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि, सामुदायिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् या किसी संगठन का कोई व्यक्ति / प्रतिनिधि में से लिया जाये।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्याओं का अनुपात जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
3. समस्त सदस्य स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर के निवासी होने चाहिये एवं उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिये।

विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारी

जैव विविधता प्रबंधन समिति में निम्नानुसार छः विशेष आमंत्रितों शासकीय पदाधिकारियों (वन विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मछलीपालन विभाग तथा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों) को एतद् द्वारा नामनिर्देशित किया जाता है। समिति की बैठक में छः विशेष आमंत्रितों शासकीय पदाधिकारियों सदस्यों में से विशेष आमंत्रित सदस्य श्री ....विभाग.....को जैवविविधता प्रबंधन समिति. ..... का सचिव नामांकित किया गया है।

विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारी

क्र.	पदनाम	कार्यालय का पता	विभाग	पद सचिव / सदस्य
1			वन	
2			किसान कल्याण एवं कृषि विकास	
3			पशुपालन विभाग	
4			स्वास्थ्य	
5			मछलीपालन	
6			शिक्षा विभाग	

जैवविविधता प्रबंधन समिति ..... का संपर्क पता निम्नानुसार होगा :–

जैवविविधता प्रबंधन समिति .....

ग्राम पंचायत .....

जनपद पंचायत / विकास खंड.....

जिला .....

पिन कोड.....

संपर्क दूरभाष / मोबाईल / ईमेल.....

.....

संलग्न : जैवविविधता प्रबंधन समिति ..... के अशासकीय एवं विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारियों का व्यक्तिगत संपर्क का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

सचिव / सरपंच
(हस्ताक्षर सील सहित)
ग्राम पंचायत – .....,
जनपद पंचायत – .....,
जिला – .....(म.प्र.)

पृ. क्र. / (ग्रा.स. / ग्रा.पं.) / 20..... /

दिनांक ..... / ..... / 20.....

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, 26, प्रथम तल, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल,
2. कलेक्टर, जिला .....(म.प्र.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत .....(म.प्र.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत .....(म.प्र.)
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्राम पंचायत .....(म.प्र.)
6. सर्व संबंधित सदस्यों / विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारियों ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव / सरपंच
(हस्ताक्षर सील सहित)

परिशिष्ट–1

जैवविविधता प्रबंधन .....समिति के सदस्य एवं विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारियों का संपूर्ण पता

सदस्यगण

क्र.	सदस्य का नाम	पद	संपूर्ण पता	संपर्क (दूरभाष/मोबाईल/ईमेल)
1		समिति अध्यक्ष		
2		सदस्य		
3		सदस्य		
4		सदस्य		
5		सदस्य		
6		सदस्य		
7		सदस्य		

विशेष आमंत्रित शासकीय पदाधिकारी

क्र.	शासकीय सदस्य का नाम	विभाग एवं विभागीय पदनाम	संपूर्ण पता	संपर्क (दूरभाष/मोबाईल/ईमेल)
1		समिति सचिव		
2				
3				
4				
5				
6				
7				

सचिव/सरपंच
(हस्ताक्षर सील सहित)